जी.एस टी. के बाद इतना अवश्य धयान रखे

(आवश्यक जानकारी)

GST के बिल बनाने से पहेले अति महत्वपूर्ण बात

- ✓ GST मोड़ में Party Master में Registration Type सिलेक्ट करना **अनिवार्य** है जिसमे निचे दर्शाए हुवे रजिस्ट्रेशन टाइप में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा.
  - **रेग्युलर:** जिनको टेक्स की क्रेडिट लेनी है वो पार्टी
  - **कंज्यूमर:** जिनके पास GST या फिर उस प्रकारकी कोई जानकारी न हो एसा व्यक्ति
  - **कम्पोजीशन:** पार्टीने अगर अक्म्पोज़िशन स्कीम पसंद की हो तो उसके लिए
  - **अनरजिस्टर(सिर्फ पर्चेज़ के लिए):** अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के पास से की जाने वाली खरीदी के किस्से में
- ✓ अगर रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट नहीं किया होगा या फिर सही प्रकारसे सिलेक्ट नहीं किया होगा तो उसकी गलत इफेक्ट रिटर्न्स में आएगी

१. GST के बाद बिल केसे बनाने होगे ?

GST के कायदे के अनुसार दो प्रकारके बिल्स बनाने का कायदा है

१. टेक्स इन्वोइस
२. बिल ऑफ़ सप्लाई

- ✓ हर एक टेक्सेबल माल या सेवा की बिक्री में **टेक्स इन्वोइस** ही बनानी पड़ेगी
- ✓ टेक्स फ्री माल या सेवा की बिक्री में **बिल ऑफ़ सप्लाई** ही बनानी पड़ेगी
- ✓ इसके इलावा जिन व्यापारीओने कम्पोजीशन स्कीम सिलेक्ट की हो उन्हेंभी माल या सेवा की बिक्री में **बिल ऑफ़ सप्लाई** ही बनानी पड़ेगी. एसे व्यापारी टेक्स इन्वोइस नहीं दे पायेगे और बिल में टेक्स भी नहीं ले यापेगे.
- ✓ GST के बाद किसीको भी रिटेइल इन्वोइस नहीं बनानी होगी
- ✓ मिरेकल में भी वर्जन ९.० रिलीज़ २.० के बिल्ड नंबर १७१ के बाद आनेवाले बिल्ड में **रिटेइल इन्वोइस** के बदले **बिल ऑफ़ सप्लाई** ही देखने को मिलेगा

२. रिटर्न्स में कोन कोन सी जानकारी देनी पड़ेगी?

- ✓ रेग्युलर डीलर को की जानेवाली सप्लाई व सेल्स बिल की दिटेइल में जानकारी देनी पड़ेगी
- ✓ इस के इलावा बाकि के सभी बिल्स की समरी देनी पड़ेगी
- ✓ यह जानकारी मिरेकल सोफ्टवेयर में ऑटोमेटिक जनरेट होगी

Note: Only for internal use of Miracle Accounting Software. For further clarification please refer detail law.